ई-मेल
शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-78/2026/आई/1427734/2026/16-3099)/96/2025

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांकः 11 अगस्त, 2026**

विषयः- डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/स0वि0/2026/4268, दिनांक 30.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-9648/2012 पार्श्वनाथ चैरिटबल ट्रस्ट बनाम आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2026 के अनुपालन में डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.07.2026 के आलोक में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-9648/2012 पार्श्वनाथ चैरिटबल ट्रस्ट बनाम आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2026 के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की समयावधि को निम्नवत् समय-सारिणी के अनुसार संशोधित किया जाता हैः-

क्रं0 सं0	**कार्य विवरण**	**शासनादेश दिनांक 15.06.2026 द्वारा निर्धारित समयावधि (डिप्लोमा इन फार्मेसी)**	**संशोधित समयावधि (डिप्लोमा इन फार्मेसी)**
1.	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता/ सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	30 जून तक	31 अगस्त तक
2.	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	10 जुलाई तक	10 सितम्बर तक
3.	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	15 जुलाई तक	15 सितम्बर तक

कृपया उक्त शासनादेश संख्या- 66/2026/आई/1365004/2026/16-3099)/96/2025, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15.06.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। यह व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए ही लागू होगी।

भवदीय,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
11. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।